छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)

शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) – 492001

दूरभाष नंबर :– 0771–4918927

Email:- office.rera.cg@gov.in Website:-https://rera.cgstate.gov.in

क्रमांक–11 / रेरा / 2018 / 288 रायपुर, दिनांक 13 / 06 / 2018

/ / परिपत्र / /

विषय :– दिनांक 31 मई, 2018 तक रजिस्ट्रेशन हेतु प्रस्तुत रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में ऋण राशि के वितरण के संबंध में।

–––––00––––––

प्राधिकरण के परिपत्र क्रमांक 06, दिनांक 19.04.2018 द्वारा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हेतु रेरा विनिर्दिष्ट खाते से राशि आहरण की प्रक्रिया तथा इसके संचालन हेतु विस्तृत निर्देश जारी किए गए थे। इसके अनुसार बैंकर्स को अपंजीकृत रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में लोन वितरण न करने हेतु निर्देशित किया गया था। उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण द्वारा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स रजिस्ट्रेशन हेतु दिनांक 31 मई, 2018 तक की निर्धारित समयावधि तक लगभग 850 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनके परीक्षण पश्चात् समुचित व पूर्ण रूप से प्रस्तुत प्रकरणों में रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करने में लगभग एक माह का समय लगना संभावित है।

ऐसे प्रमोटर्स जिन्होंने अधिनियम की मंशा के अनुरूप प्राधिकरण द्वारा नियत समय–सीमा का पालन करते हुए प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन हेतु विधिवत् आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में गंभीरता दिखाई हैं, उनकी सूची प्राधिकरण के वेबपोर्टल https://rera.cgstate.gov.in/ के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में विकास कार्य बाधित न हो तथा क्रेताओं को समय पर इसका कब्जा प्राप्त हो, इस लक्ष्य को केन्द्र में रखते हुए प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उक्त सूची में वर्णित प्रोजेक्ट्स हेतु संबंधित बैंक दिनांक 15 जुलाई, 2018 तक अपने बैंकिग प्रक्रियाओं व नियमों के अनुरूप अनुपातिक रूप से ऋण राशि का वितरण कर सकते हैं। अर्थात् माह जुलाई, 2018 तक प्रोजेक्ट की समुचित गतिशीलता के लिए जितनी राशि आवश्यक हो, केवल उतनी ऋण राशि अनुपातिक रूप से वितरित की जा सकेगी। किंतु किसी भी दशा में दिनांक 15 जुलाई, 2018 के पश्चात् रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर के बिना किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में बैंको द्वारा ऋण की स्वीकृति एवं वितरण नहीं किया जा सकेगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि यह छूट सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हेतु लागू न होकर केवल उक्त सूची में वर्णित प्रोजेक्ट्स हेतु ही लागू होगी।

यह तत्कालिक छूट केवल ऋण राशि वितरण हेतु प्रदान की जा रही है। इसका आशय यह कदापि नहीं है कि प्रमोटर्स द्वारा अधिनियम की धारा 3 में वर्णित प्रावधानों के विपरित रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर के बिना रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का प्रचार–प्रसार, बुकिंग, विक्रय आदि किया जाए अर्थात् रेरा रजिस्ट्रेशन के बिना रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के प्रचार–प्रसार, बुकिंग व विक्रय आदि पर प्रतिबंध यथावत् रहेगा।

(मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

13/06/18

(अजय कुमार अग्रवाल)

रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण

रायपुर.